न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 327/2013/223 (2013/00030)

1. श्योजी पुत्र हरकरण जाट, जाति जाट,
2. मूला पुत्र हरकरण जाट, जाति जाट,
3. नरसीराम पुत्र हरकरण जाट, जाति जाट (फौत) जरिये वारिसानः—
   3/1— संतोष पत्नि नरसीराम,
   3/2— मुकेश पुत्र नरसीराम,
   3/3— नेराज पुत्री नरसीराम,
4. रामेश्वर पुत्र हरकरण जाट, जाति जाट,
5. श्रीमती सुगनी बेवा हरकरण जाट, जाति जाट,
6. हजारी पुत्र मांगू जाट (फौत) जरिये वारिसानः—
   6/1— नौरती देवी पत्नि हजारी,
   6/2— रामेश्वरी पुत्री हजारी,
   6/3— मंजू देवी पुत्री हजारी,
   6/4— हरिराम पुत्र हजारी,
   6/5— रामप्यारी पुत्री हजारी,
   6/6— कैलाश पुत्र हजारी,
7. हरदीन पुत्र मांगू जाट,

   समस्त जाति जाट, निवासी अमरपुरा, तह0 किशनगढ़, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर । **अपीलांटस**

बनाम

1. कल्याण पुत्र चौथू जाट,
2. जीवण पुत्र चौथू जाट (फौत) जरिये वारिसानः—
   2/1— श्रीमती सोनरी बेवा जीवण,
   2/2— दयाल पुत्र जीवण,
   2/3— रामचन्द्र पुत्र जीवण,
3. छगना पुत्र चौथू,

   समस्त निवासी ग्राम अमरपुरा, तह0 किशनगढ, जिला अजमेर ।

वादीगण/रेस्पोडेंटस

4. रामदीन पुत्र फुसा जाट,
5. हरजी पुत्र नारायण जाट,
6. श्रीमती घीसी पुत्री खेमा जाट,
7. श्रीमती गीता पुत्री भैरूराम जाट,
8. श्रीमती लाली पुत्री भैरूराम जाट,
9. श्रीमती गणेशडी पुत्री भेरूराम जाट,
10. पुखराज पुत्र भैरूराम जाट,
11. कमला बेवा भैरूराम जाट,

    समस्त निवासीगण ग्राम अमरपुरा, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
12. पंजाब नेशनल बैंक, करकेड़ी, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
13. आई0सी0आई0 बैंक लि0, वैशाली नगर, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 5.12.2007 अंतर्गत वाद संख्या 78/1999.

उपस्थितः—

1. श्री प्रदीप विश्नोई, वकील अपीलांटस ।
2. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3.
3. रेस्पो0 संख्या 4 से 13 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 04.01.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 5.12.2007 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांटस एवं शेष रेस्पो0 संख्या के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अमरपुरा, तहसील किशनगढ़ स्थित आराजी खसरा नंबर 116 रकबा 5 बीघा, खसरा नंबर 117 रकबा 4 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, खसरा नंबर 118 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 119 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 147/170 रकबा 37 बीघा 3 बिस्वा कुल 56 बीघा 19 बिस्वा मय चाह के स्थित है । उक्त भूमि में वादीगण के पिता स्व0 चौथू का 1/3 हिस्सा, फूला, खेमा पुत्रगण गंगाराम का 2/9 हिस्सा, स्व0 नारायण पुत्र छीतर का 1/9 हिस्सा, स्व0 बोदू वल्द हरदेव का 1/3 हिस्सा है । उपरोक्त हिस्से अनुसार एकीकरण खतौनी में सहखातेदार दर्ज है । इस प्रकार खसरा नबर 143/170 रकबा 37 बीघा 3 बिस्वा भूमि में एकीकरण खतौनी में वादीगण के स्व0 पिता चौथू का 1/3 हिस्सा दर्ज हो रखा है अर्थात् वादीगण 1/3 हिस्से के सहखातेदार है । जमाबंदी चौसाला में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 143/170 रकबा 37 बीघा 3 बिस्वा भूमि के स्थान पर गलत व कानून के खिलाफ खसरा नंबर 143/169 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा दर्ज कर रखी है जबकि एकीकरण खतौनी खसरा नंबर 143/169 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि में हरकरण पुत्र धन्ना 1/2 हिस्सा, हजारी पुत्र मांगू दर्ज है । उक्त खसरा नंबर 143/169 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा प्रतिवादीगण संख्या 12 से 19/वर्तमान अपीलांटस की संयुक्त खातेदारी की है । इनका खसरा नंबर 143/170 में कोई हिस्सा नहीं है । अतः खसरा नंबर 143/170 रकबा 37 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 12 से 19 के संयुक्त खाते से कम की जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 के खाते में दर्ज की जावे । प्रकरण दर्ज कर अधी0न्याया0 ने जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया । प्रतिवादी संख्या 13 से 20 की ओर से अभिभाषक श्री मुकुट बिहारी रंगा की उपस्थिति फर्द अहकाम में दर्ज है जबकि प्रतिवादीगण संख्या 13 से 20 द्वारा कोई अभिभाषक नियुक्त नहीं किया गया था । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तामील हेतु फर्द अहकाम के अवलोकन से स्पष्ट हे कि प्रतिवादी संख्या 12 की तामील नहीं होने के बावजूद बिना किसी आधार के नोटिस तलवाना भेजना बंद कर दिया गया । प्रतिवादी संख्या 13 से 20 के तथाकथित अभिभाषक श्री मुकुट बिहारी रंगा द्वारा दिनांक 22.4.2002 को पत्रावली पर नो—इंस्ट्रेक्शन प्लीड कर दिया गया था जिसके पश्चात् न तो न्यायालय द्वारा ओर न ही वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण को

तलब करने हेतु कोई नोटिस जारी किया गया ओर एकतरफा में वादीगण का वाद अपने निर्णय दिनांक 5.12.2007 से डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध एवं एकतरफा में प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिये बगैर पारित होने से निरस्तनीय है । प्रथमतः प्रतिवादी संख्या 12 से 19 के विरूद्ध वादीगण द्वारा अनुतोष चाहा गया था और इन्हीं की आराजी को अपने नाम दर्ज करने हेतु वाद पेश किया था ओर इन्हीं प्रतिवादीगण की वाद में विधिवत् तामील नहीं करवाई । प्रतिवादी संख्या 12 की तामील स्वंय फर्द अहकाम के देखने से ही स्पष्ट होता है कि बार–बार फर्द तलवाना की हिदायत देने के बावजूद वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 12 की तामील हेतु नोटिस प्रस्तुत नहीं किया ओर बिना तामील के ही अधी0न्याया0 ने तलबी बंद कर दी । जहां तक प्रतिवादी संख्या 13 से 20 के बारे में फर्द अहकाम में अंकन का प्रश्न है वह गलत है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 20 था ही नहीं ओर 13 से 19 की जब विधिवत् तामील ही नहीं हुई तो उनको वाद की जानकारी किस प्रकार हो सकती थी ओर जो अभिभाषक श्री मुकुट बिहारी रंगा का उपस्थित होना अंकित किया गया है उन्हें प्रतिवादी संख्या 13 से 19 ने कभी भी नियुक्त नहीं किया था । इस कारण प्रतिवादीगण की तामील कराये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनके विरूद्ध एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि यदि यह मान भी लिया जावे कि प्रतिवादी संख्या 13 से 19 की ओर से अभिभाषक श्री मुकुट बिहारी रंगा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया था और प्रकरण प्रतिवादी के जवाबदावा हेतु न्यायालय में लंबित चल रहा था जिसमें दिनांक 22.4.2002 को फर्द अहकाम के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री मुकुट बिहारी रंगा द्वारा वाद में प्रतिवादी संख्या 13 से 19 की तरफ से नो–इंस्ट्रेक्शन प्लीड करते हुए अपना वकालतनामा समाप्त करवा लिया था । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि प्रकरण के लंबित होने के दौरान अभिभाषक द्वारा प्रकरण में पक्षकारों की ओर से नो इंस्ट्रेक्शन प्लीड कर दिया जाता है तो न्यायायल उन पक्षकारों को पुनः नोटिस जारी करेगा तथा पक्षकारान को नया अभिभाषक नियुक्त करने का अवसर प्रदान करेगा । किन्तु हस्तगत प्रकरण में न तो अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस दिया गया और न ही अधी0न्याया0 द्वारा वादीगण को ऐसी कोई हिदायत ही दी गई थी । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण संख्या 13 से 19 की ओर से जवाब बंद करने के आदेश पारित कर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारि तकिया है जो उपरोक्त दर्शित विधिक सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण व तरतीबी वादीगण संख्या 1 से 11 ने मिलीभगत कर सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए प्रकरण की डिक्री प्राप्त की है जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 का अनुतोष एक समान था ओर इन्हीं की ओर से शेष प्रतिवादीगण संख्या 13 से 19 की भूमि अपने नाम दर्ज कराने हेतु अनुतोष चाहा गया था । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर वादीगण का वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है । यह भी कथन किया कि दिनांक 22.4.2002 की फर्द अहकाम में प्रतिवादी संख्या 13 से 19 के विरूद्ध नो इंस्ट्रेक्शन प्लीड करने के बाद वादीगण की ओर से वादपत्र संशोधित करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.5.2002 को प्रस्तुत

किया गया जिसके आधार पर वादीगण का वाद पत्र आदेश दिनांक 18.3.2003 को स्वीकार कर प्रतिवादीगण को संशोधित जवाबदावा पेश करने के आदेश दिये । चूंकि वादपत्र संशोधित करने के पश्चात् न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 से 19 को पुनः संशोधित वादपत्र के आधार पर सम्मन तामील करवाये जाने चाहिये थे ताकि नये रूप से संशोधित वादपत्र की जानकारी प्रतिवादीगण को होती तथा उसके द्वारा संशोधित वादपत्र के खिलाफ जवाब दावा प्रस्तुत किया जा सकता था किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा कोई सम्मन प्रतिवादीगण को जारी नही किये । जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है विवादित आराजी मुख्य रूप से सेटलमेंट से पूर्व संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी ओर अपीलांटस के पूर्वजों के नाम जो भूमि अंकित थी उतनी ही भूमि का हिस्सा उन्हें प्राप्त हुआ था जिस कारण खसरा नंबर 140/170 का 37 बीघा 3 बिस्वा भूमि अपीलांटस के नाम आने पर ही उनका रकबा पूर्ण होता है । इस आधार पर विवादित आराजी खसरा नंबर 140/170 की 37 बीघा 3 बिस्वा का कब्जा शुरू से अपीलांटस के नाम चला आ रहा है ओर उन्हीं के द्वारा मौके पर काश्त की जा रही है एवं विवादित आराजी को बैंक में रहन बैय रखकर ऋण आदि प्राप्त कर रखा है । केवल मात्र जमाबंदी में प्रथम सेटलमेंट की ओर से वादी/रेस्पो0 के नाम दर्ज कर देने से भूमि के अधिकार वादीगण को प्राप्त नही हो जाते है । सेटलमेंट विभाग को खातेदारी प्रदान करने के अधिकार नहीं है । वादीगण ने सेटलमेंट के गलत इंद्राज के आधार पर एकतरफा में डिक्री प्राप्त की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में डी0एन0जे0 1998 (सुप्रीम कोर्ट) पेज 47, आर0एल0डब्ल्यू 1998 पार्ट–2 पेज 1071 राज0हाई कोर्ट, आर0आर0टी0 2014 पार्ट–1 पेज 673 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादी संख्या 12 से 19 की विधिवत् तामील नहीं कराई गई । वादीगण की ओर से मिलीभगत से एक वकालतनामा प्रतिवादी संख्या 13 से 19 का झूंठा तैयार करवाया गया । न्यायालय द्वारा जारी कोई भी सम्मन प्रतिवादीगण पर तामील नहीं हुए है । इस कारण प्रतिवादीगण/अपीलांटस को वाद लंबित होने तथा निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं हो सकी थी । वर्तमान में तहसीलदार, भू0अ0निरीक्षक रूपनगढ़ के समक्ष प्रशासन आंव के संग अभियान/कैम्प में वादी/रेस्पो0 ने डिक्री पालना में नामांतकरण दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई । पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट देने हेतु जानकारी लेने पर अपीलांट का पता लगा कि उनकी खातेदारी भूमि के विरूद्ध वाद दायर कर एकतरफा में रेस्पो0 ने डिक्री प्राप्त कर ली है । इसके पश्चात् प्रार्थीगण/अपीलांटस ने जानकारी लेकर अधी0न्याया0 के निर्णय की नकल प्राप्त कर अधिवक्ता नियुक्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध लगभग 6 वर्ष के उपरांत मियाद बाहर अपील पेश की है जबकि अपीलांटस अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित हो चुके थे । विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक नहीं है । अतः अपील मियाद बाहर पेश किये जाने से निरस्त की जावे ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 143/170 रकबा 37 बीघा 3 बिस्वा भूमि एकीकरण जमाबंदी में वादीगण के स्व0 पिता चौथू का 1/3 हिस्सा दर्ज था किन्तु पश्चात्वर्ती जमाबंदी में प्रतिवादीगण संख्या 12 से 19 के नाम दर्ज कर दी गई । इसी प्रकार एकीकरण खसरा नंबर 143/169 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 12 से 19 के नाम दर्ज थी किन्तु पश्चात्वर्ती जमाबंदी में उक्त भूमि को वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के नाम दर्ज कर दिया । पश्चात्वर्ती जमाबदी में किये गये उपरोक्त इंद्राज विधिविरूद्ध होकर वादीगण के हक व अधिकारों के प्रति शून्य एवं अवैध है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या 12 से 19 की ओर से अभिभाषक श्री मुकुट बिहारी रंगा ने वकालतनामा पेश किया था जिन्होंने दिनांक 22.4.2002 को प्रतिवादीगण संख्या 3, 14, 15, 16, 17, 18 व 20 की ओर से नो इंस्ट्रेक्शन प्लीड कर दिया था । इसलिये अपीलांटस का यह कथन कि उन्हें अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन वाद की जानकारी नहीं थी किया गया कथन असत्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन, विश्लेषण उपरांत वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है। हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पत्र पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण सं,ख्या 12 से 19 के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया था इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 12 से 19 को वाद के नोटिस/सम्मन विधिवत् रूप से तामील नहीं करवाये गये है न ही अधी0न्याया0 द्वारा फर्द तलवाना पेश करने की हिदायत दिये जाने के बावजूद वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 12 की तामील हेतु कोई नोटिस ही पेश किये गये है। यह भी कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 13 से 19 ने कभी भी अभिभाषक श्री मुकुट बिहारी रंगा को अपना अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया था । इस संबंध में अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 6.8.1999 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को प्रतिवादी हरजीराम, रामदीन, कमला, श्योजी व हजारी की ओर से वकील श्री मुकुट बिहारी रंगा ने वकालतनामा पेश किया । शेष प्रतिवादीगण की ओर से श्री मुकुट बिहारी रंगा वकील ने अण्डर टेकिंग दी । आदेशिका दिनांक 23.8.1999 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2, 3, 13, 14, 15 व 16 से 20 की ओर से वकील श्री मुकुट बिहारी रंगा, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया । तत्पश्चात् पत्रावली जवाब प्रतिवादीगण विचाराधीन रही । तत्पश्चात् आदेशिका दिनांक 22.4.2002 के अनुसार वकील वादी उपस्थित । प्रतिवादीगण उपस्थित । प्रतिवादी संख्या 3, 14, 15, 16, 17, 18, 20 के वकील श्री मुकुट बिहारी रंगा द्वारा नो–इंस्ट्रेक्शन करने का निवेदन किया। अपीलांटस का कथन रहा है कि उनके द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष कभी भी श्री मुकुट बिहारी रंगा को अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया गया था न ही अधी0न्याया0 के नोटिस की उन्हें तामील ही हुई थी । जब अपीलांटस द्वारा अधिवक्ता श्री मुकुट बिहारी रंगा को अधिवक्ता

नियुक्त नहीं किया गया तो श्री मुकुट बिहारी रंगा को नो–इंस्ट्रेक्शन प्लीड करने का अधिकार भी नहीं था । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि प्रकरण के लंबित रहते अभिभाषक द्वारा प्रकरण में पक्षकारों की ओर से नो–इंस्ट्रेक्शन प्लीड कर दिया जाता है तो न्यायालय उन पक्षकारों को पुनः नोटिस जारी करेगा किन्तु हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता श्री मुकुट बिहारी रंगा द्वारा दिनांक 22.4.2002 को प्रतिवादीगण संख्या 3, 14, 15, 16, 17, 18, 20 बाबत् नो–इंस्ट्रेक्शन प्लीड किये जाने अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांटस को नोटिस दिये जाने के संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, ना ही अधिवक्ता श्री मुकुट बिहारी रंगा द्वारा अपीलांटस/प्रतिवादीगण को नो–इंस्ट्रेक्शन प्लीड किये जाने के संबंध में कोई सूचना दिये जाने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही पत्रावली पर उपलब्ध है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 20 बाबत् भी नो–इंस्ट्रेक्शन किया गया है किन्तु वाद में प्रतिवादी संख्या 20 नियुक्त नहीं है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 13 से 20 के विरूद्ध अनुतोष चाहा है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 द्वारा प्रस्तुत सहमति जवाबदावा के आधार पर किस प्रकार वाद डिक्री किया जा सकता है । अधी0न्याया0 द्वारा संशोधित वादपत्र पेश किये जाने के पश्चात् अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादीगण को पुनः नोटिस जारी करने चाहिये थे किन्तु इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली पर प्रतिवादीगण/अपीलांटस को संशोधित वादपत्र के नोटिस जारी किये जाने के संबंध में भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा नो–इंस्ट्रेक्शन किये जाने तथा संशोधित वादपत्र पेश किये जाने के उपरांत अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस/सम्मन जारी नहीं किये जाने से अपीलांटस/प्रतिवादीगण को अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वाद में जवाब, साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त नही हो सका था । अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पारित निर्णय व डिक्री को उपरोक्त विवेचनानुसार विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा वाद संख्या 78/1999 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5.12.2007 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटस को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे । पक्षकारान दिनांक को अधी0न्याया0 में उपस्थिति हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर